FACTUAL & ACTON TAKEN REPORT

In compliance to the

Hon'ble NGT order dated 12/10/2023

in the matter of

OA 139/2023(CZ)

Of

Mrs. Krishnarani Agrawal Vs. State of M.P. & Others.

Date of Inspection

05/12/2023

FACTUAL & ACTION TAKEN REPORT

Ref: Factual & Action Taken report in compliance to the Hon'ble NGT order dated12/10/2023 in the matter of OA 139/2023 (CZ) Mrs. Krishnarani Agrawal Vs. State of M.P. & Others.

Hon'ble NGT vide order dated 12/10/2023 issued following instructions in the matter of OA 139/2023 (CZ) Mrs. Krishnarani Agrawal Vs. State of M.P. & Others:-

1. This letter petition has been filed by the applicant with the allegation that in Prakash Nagar Colony, Ward No. 17, Govindpura Bhopal, Town and Country Planning, Department of Madhya Pradesh has developed green belt near the 100 ft. Road at the site situated Govindpura Industrial area Bhopal to Raisen Road, NH-86 extension but the respondents and other persons are cutting the trees illegally without permission from the competent authority and raising constructions illegally. The septic tank situated there is regularly overflowing at the open road causing health hazard and pollution in the Prakash Nagar Colony, Ward No. 17, Govindpura Bhopal damaging and polluting the underground water.
2. A substantial issue of environment has been raised.
3. In light of the above, following persons should be impleaded as party respondent:
    i. State of Madhya Pradesh through Collector, Bhopal;(M.P.)
    ii. Municipal Corporation, Bhopal (M.P)
    iii. Madhya Pradesh State Pollution Control Board. (M.P.)
4. The office is directed to issue notice to the respondents returnable within four weeks.
5. Respondents are directed to submit their reply within six weeks through e-filing portal, preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.
6. We further constitute a committee consisting of :
    i. One representative from Collector, Bhopal (M.P.)
    ii. One representative from Municipal Commissioner, Bhopal (M.P.)
    iii. One representative from Madhya Pradesh State Pollution Control Board (M.P.)

7. The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within four weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.

In reference to the above order, a Joint Committee of the following officials of the concerned departments is constituted

1. Additional Commissioner Bhopal Municipal Corporation.
2. Executive Engineer, Regional Office,MPPCB Bhopal.
3. SDM, Govindpura, Bhopal

Joint committee inspected the site on 05.12.2023 and following officers were present in the committee:-

(i) Shri A. K. Bisen ,Executive Engineer, Regional Office, MPPCB Bhopal, Representing MPPCB

(ii) Shri R. K. Gupta, Executive Engineer, Municipal Corporation, Bhopal Representative BMC

(iii) Shri Ashok Singh, Tehsilddar, Govindpura, Bhopal Representative SDM, Govindpura, Bhopal

During inspection Smt. Alpana Saxena, E.E., Shri K. C. Gupta, A.E., Shri Avinash Thakre, A.E., BMC, Bhopal, Shri Jainendra Chandel, Chemist, Regional Office, MPPCB, Bhopal Shri Ravi Verma, Vice President (In charge President), Prakash Grah Nirman Society, Bijli Nagar, Govindpura, Bhopal, Shri Rakesh Agrawal, petitioners' representative and were also present during the inspection. Officials conducted the visit of the site namely Prakash Nagar Colony, Ward No. 70, Govindpura Bhopal on dated 05/12/2023. During the site visit the residents of the Prakash Nagar Colony were present along with the representative of petitioner Shri Rakesh Agrawal. The Geographical location, photographs and visual observations were recorded during inspection. The observations are as follows:-

1. GPS locations of the Prakash Nagar Colony, Ward No. 70, Govindpura Bhopal are recorded using a mobile-based GPS application. The photographs taken during the inspection and location of the colony marked on the google map. The Google map image and photographs are enclosed as **Annexure- I**.
2. The Prakash Nagar Colony is a residential colony located in Ward No. 70, Govindpura Bhopal of BMC. 100 feet Govindpura road pass from the east direction of colony and also a nalla flowing along the 100 feet Govindpura road side.

3. The Prakash Nagar Colony is a plotted development project approved by T&CP. In the year 1993 colony having 46 plots, development of this colony started since 1994 Management and maintenance of this colony is under Prakash Grah Nirman Society, Bijli Nagar, Govindpura, Bhopal.
4. At present about 27 residential houses are there, each house having sewage chamber connected with sewage network.
5. As reported by Shri Ravi Verma representative of Prakash Grah Nirman Society, Bijli Colony, Govindpura, Bhopal there was a septic tank connected with sewage network of colony to treat sewage of residents, a year back it was damaged but during inspection no septic tank found within the premises Location of septic tank reported by representative of Prakash Grah Nirman Society, Bijli Colony, Govindpura, Bhopal inside garden area and provided map marked with location of septic tank which was damaged. **Annexure- II** However petitioner representative objected with location of septic tank which was inside the garden area and demanded that it should be located near plot number 11 as marked in T&CP approved map and provided copy of said map as per **Annexure-III**. The details of the colony are as per the attached map.
6. The water supply in the colony is provided by Bhopal Municipal Corporation.
7. During inspection, no sewage found over flowing in the open road. In front of Prakash Grah Nirman Society.
8. The Sewage of colony after passing through sewage network discharging into nalla passing in between boundary wall of colony at Govindpura road.
9. During inspection it is directed to representative of Prakash Grah Nirman Society to install septic tank and collection tank immediately.
10. During observation, no cutting of tree was found in green belt area. Plantation have been done by the society inside premises.
11. Prakash Grah Nirman Society is responsible for Management and Maintenance of this colony. Tehsildar Govindpura has informed that a complaint of petitioners encroachment was registered in his court and have been decided by additional Tehsildar, Govindpura case number 0051/B-121/2022-23 on dated 28/04/2023 and directed to the President and Vice President of Prakash Grah Nirman Society to submit opinion about legal action about order passed by dated 28/04/2023 related to encroachment, reply of SDM Govindpura dated 08/12/2023 **Annexure-IV.**

Action Taken by MPPCB:-

1. As per the CPCB methodology of Environmental Compensation for not treating the sewage generated, in reference to Hon'ble NGT order 593/2017 dated 28/08/2019 Environmental Compensation of Rs. 3,80000/- (Three Lakh Eighty Thousand only) is assessed on Prakash Grah Nirman Society, Bijli Colony, Govindpura, Bhopal for the violation period from date of petition i.e. 20/09/2023 to 05/12/2023 that is last inspection done by the Joint inspection committee. **Annexure- V.**

Recommendations:

1. Prakash Grah Nirman Society shall immediately install septic tank and collection tank, overflow of septic tank shall transport to nearby sewage treatment plant of BMC for treatment and disposal.

   Or

   Prakash Grah Nirman Society shall construct STP of adequate capacity within 03 months. Since there is no sewage network of BMC in Govindpura area at present.

Shri Ashok Singh Tehsildar Govindpura, Bhopal	**R. K. Gupta Executive Engineer, Municipal Corporation, Bhopal**	**Ravish Shrivastava SDM Govindpura, Bhopal**	**A. K. Bisen Executive Engineer RO, MPPCB, Bhopal**

Annexure-I

Google map of Prakash Gran Nirman Colony, Govindpura, Bhopal

1/3

Annexure-I

Inspection Photographs of Prakash Grah Nirman Colony

On dated 05/12/2023

Joint Committee with society and petitioners' representative

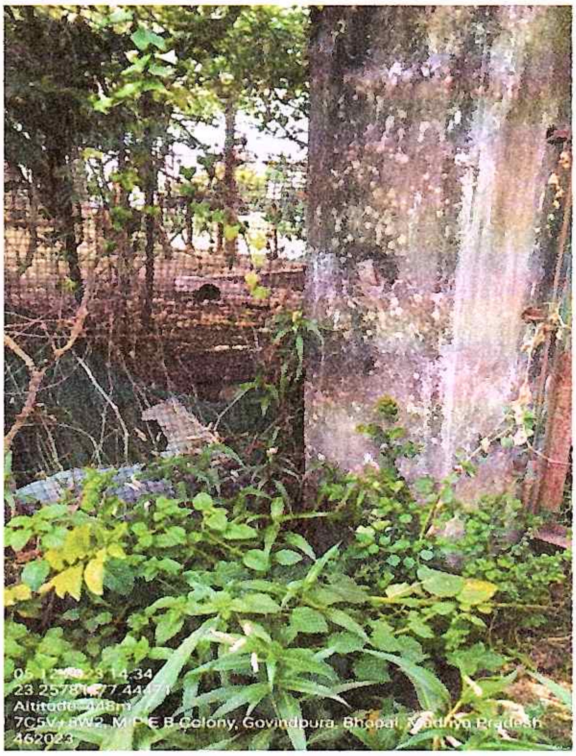

Sewage discharge outlet

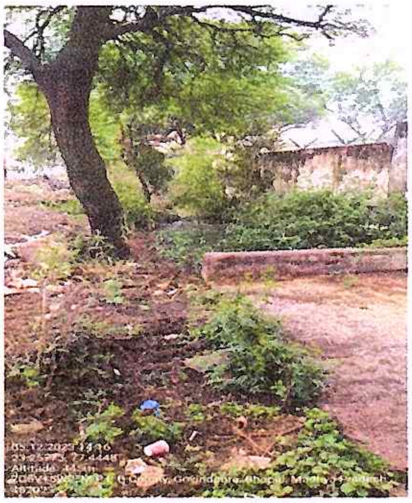

Garden area of Colony

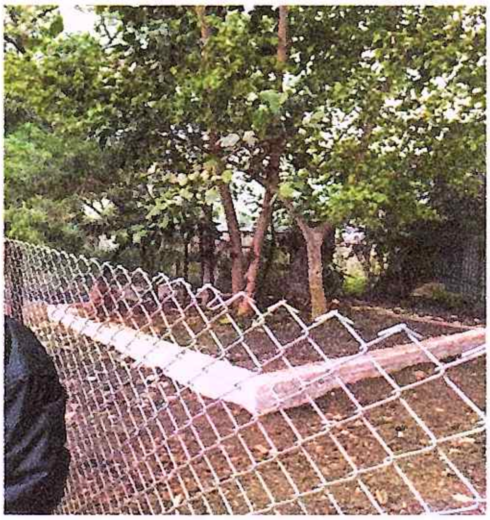

Plantation done by society

2/3

Joint inspection team

Garden area where septic tank was located

Govindpura road and nalla infront of colony

Plantation and Temple

3/3

Annexure II

1. समायोजन/भू-स्वामियों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद होगा तो यह संशोधन निरस्त माना जायेगा।
2. सीमांकन मानचित्र पूर्व में दी गई अनुमति के प्रावधानों का क्रियान्वयन किये जाने की सुविधा हेतु सीमांकन सम्पन्न किया जा रहा है इसमें भू-स्वामियों के आपस विवाद पर असर नहीं पड़ना चाहिये।
3. यह सीमांकन मानचित्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के अंतर्गत अनुमति ना समझी जावे ना ही Renewal समझा जावे।
4. यह मानचित्र उप कार्यालय के पत्र क्र. 3515 दिनांक 1-5-93 को

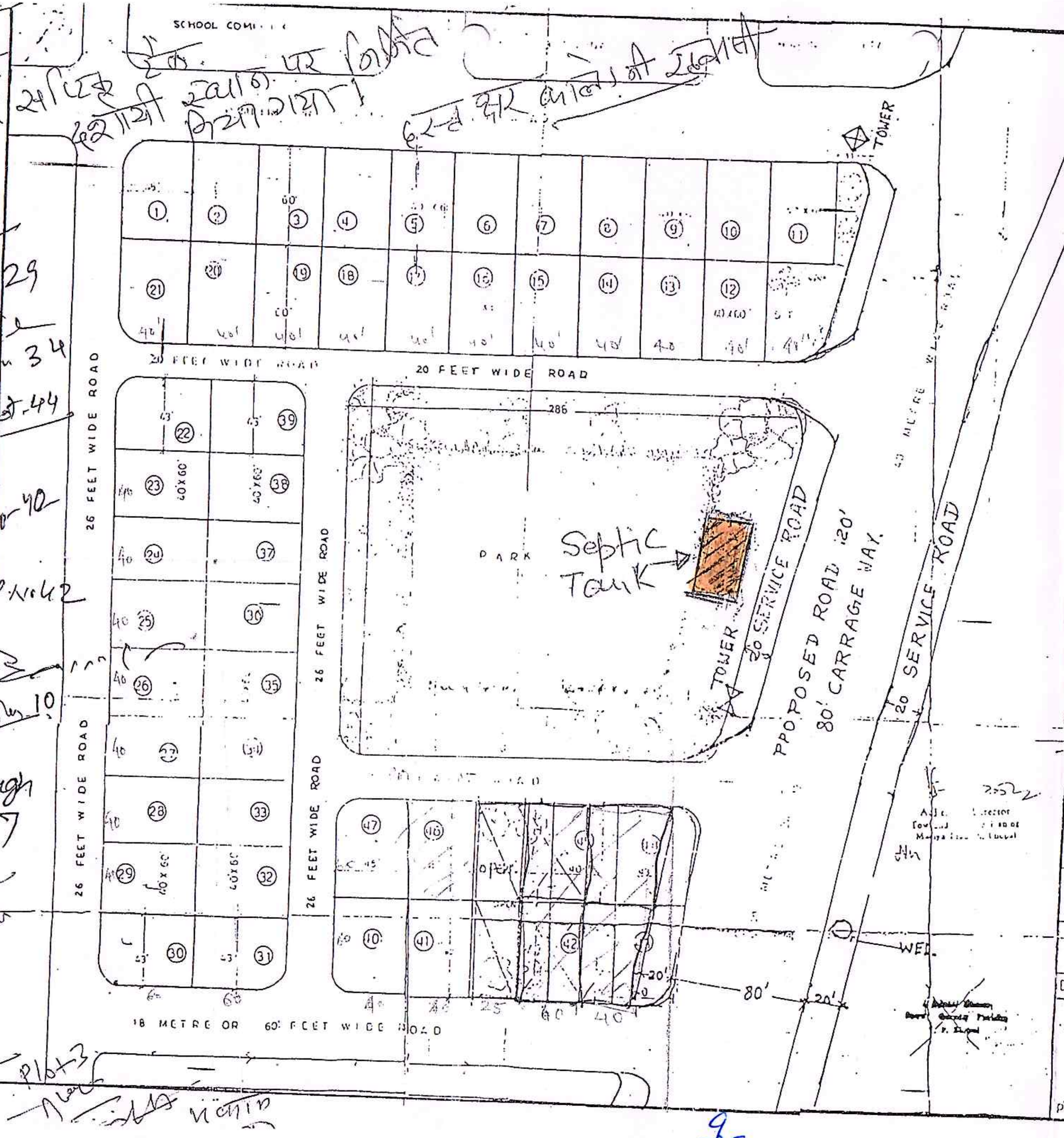

SUBDIVISION PLAN OF PRAKASH GRAH NIRMAN SOCIETY GOVINDPURA BHOPAL M.P ON KH.NO. 16, 18, 10/2, 51/10 & 20

STATEMENT OF AREA

TOTAL AREA OF LAND	217800	SQFT OR 5.00 ACRES
PLOTABLE	1123H48	SQFT OR 2.58 ACRES
OPEN AREA	6,06468	SQFT OR 1.53 ACRES
ROAD AREA	38 7684	SQFT OR 0.90 ACRES

DETAILS OF PLOTS

S NO	NOS	PLOT NO	SIZE	AREA
1	2	1 & 21	45X60	2700 SQFT
2	26	2 TO 20 & 23 TO 29	40X60	2400 SQFT
3	7	32 TO 38	40X60	2400 SQFT
4	2	22, 30	43X60	2580 SQFT
5	2	31, 39	43X60	2580 SQFT
6	2	40, 47	45X60	2700 SQFT
7		41, 42	40X60	2400 SQFT
8	1	44	IRREGULAR	2700 SQFT
9	1	43	IRREGULAR	2490 SQFT

ROAD ALLIGHMENT 120'
- 80' GARRAGE WAY.
- 20' - 20' FOOT PATH.

DIRECTION NORTH

SCALE 1" — 41.25'

SHILPI PHONE 65631
the house of the house makers
ARCHITECT, ENGINEER, PLANNERS
शिल्पी 2/8, RACHANA NAGAR, BHOPAL

DEALT BY SURJAR

PROJECT NO. 27/MARCH/92

PRESIDENT

ARCHITECT

-9-

Annexure-III

संचा... तथा ग्राम...
...य प्रदेश, भोपाल

112 22/08/23

क्रमांक 3576 /न.ग्रा.नि./सी.पी./ भोपाल, दिनांक 1/6/1993

प्रति,

सचिव,
श्री डी.के.दीवान
प्रकाश नगर गृह निर्माण समिति

विषयः- प्रकाश नगर गृह निर्माण समिति के अभिन्यास ग्राम गोविन्दपुरा खसरा क्र. 16, 17, 18, 19/2 51/10 एवं 20 का सीमांकन सत्यापित किये जाने बाबत।

संदर्भः- आपका पत्र दिनांक 4.5.93

उपरोक्त विषय में सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया अभिन्यास खसरा नं. 16, 17, 18, 19/2, 51/10 एवं 20 रकबा पाँच एकड़ अभिन्यास में दर्शाये गये सीमांकन अनुसार सत्यापित किया जाता है। मानचित्र में उल्लेखित शर्तें यथावत रहेंगी तथा किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर यह सीमांकन सत्यापन निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नः- मानचित्र

अपर संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल, म०प्र०

पृ० क्रमांक 3576 /न.ग्रा.नि./सी.पी./ भोपाल, दिनांक 1/6/1993

प्रतिलिपिः- नगर निगम भोपाल को सूचनार्थ।

संलग्नः- मानचित्र

अपर संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल, म०प्र०

O/C

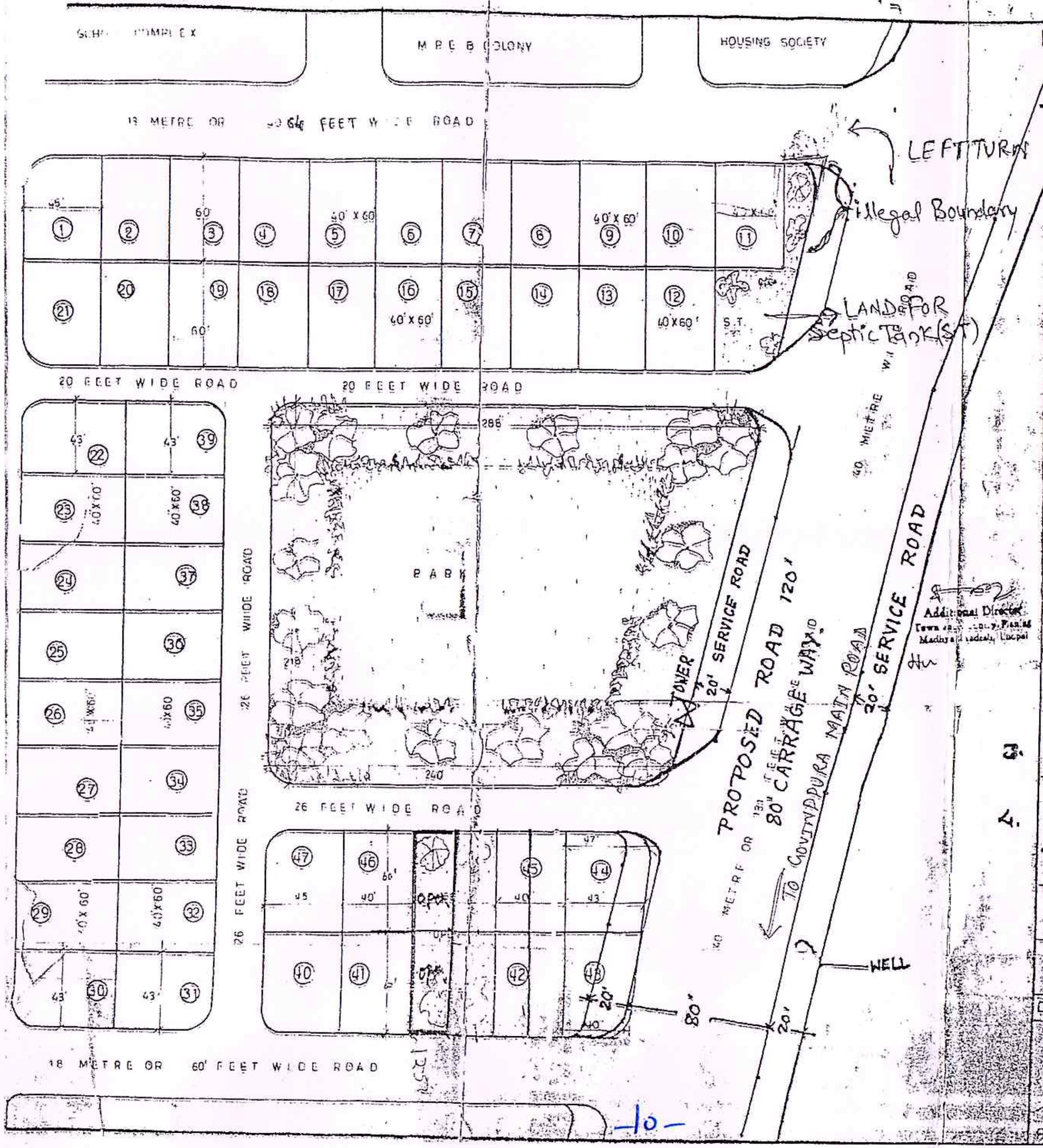

DEMARCATION PLAN OF PRAKASH GRAH NIRMAN SOCIETY GOVINDPUR BHOPAL M. P ON KH. NO. 16. 18. 19/ 51/ 10 & 20

STATEMENT OF AREA

TOTAL AREA OF LAND	217800	SQFT OR 5.00 ACRE
PLOTABLE	11,23848	SQFT OR 2.58 ACRE
OPEN AREA	6,66468	SQFT OR 1.53 ACRE
ROAD AREA	387684	SQFT OR 0.90 ACRE

DETAILS OF PLOTS

S. NO	NOS	PLOT NO.	SIZE	AREA
1	2	1 & 21	45'X 60'	2700 SQFT
2	26	2 TO 20 & 23 TO 29	40'X 60'	2400 SQFT
3	7	32 TO 38	40'X60'	2400 SQFT
4	2	22 & 30	43X60'	2580 SQFT
5	2	31 & 39	43X60'	2580 SQFT
6	2	40 & 47	45X60'	2700 SQFT
7		41, 42, 45, 46	40X 60'	2400 SQFT
8	1	44	IRREGULAR	2700 SQFT
9	1	43	IRREGULAR	2[illegible]

DIRECTION NORTH

SCALE 41.26

SHILPI — PHONE- 65037
the house of the house makers
ARCHITECT, ENGINEER, PLANNER
27, RACHANA NAGAR, BHOPAL

DEALT M. GURJAR — PROJECT NO. 27/MARCH/92

PRESIDENT — ARCHITECT

Additional Director, Town & Country Planning, Madhya Pradesh, Bhopal

Annexure-IV

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी नजूल गोविंदपुरा वृत्त भोपाल

क्रमांक / 332 /री.अनु.वि.अ.न.गो. / 2023 भोपाल, दिनांक– 03 / 12 / 2023

प्रति,

श्री बृजेश शर्मा,
क्षेत्रीय अधिकारी
पर्यावरण परिसर ई–5 अरेरा कालोनी भोपाल।

विषयः– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच के प्रकरण क्र. 139 / 2023 (सी.जेड) कृष्णारानी विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य।

संदर्भः– क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण परिसर ई–5 अरेरा कॉलोनी भोपाल के पत्र कमांक 2453 / क्षेका / प्रनिवो / 2023 भोपाल दिनॉक 06 / 12 / 2023

—00—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में अतिरिक्त तहसीलदार नजूल गोविन्दपुरा वृत्त–2 द्वारा प्रतिवेदन लिया गया। प्रतिवेदन अनुसार माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच के प्रकरण क्र. 139 / 2023 (सी.जेड) कृष्णारानी विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य में प्रकरण के संबंध में प्रतिवेदन चाहा गया है जिसमें आवेदिका कृष्णा रानी अग्रवाल पत्नि राधेश्याम अग्रवाल द्वारा प्रकाश नगर बिजली कॉलोनी वार्ड–70 ग्राम गोविन्दपुरा के रहवासियों की कॉलोनी में टाउन एंड प्लानिंग द्वारा अधिकृत नक्शे में सेप्टिक टैंक और नाले वाली जगह पर अवैध कब्जा कर निर्माण किया जा रहा है, के संबंध में अवैध निर्माण हटाने के लिए आवेदन पत्र न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार नजूल गोविन्दपुरा वृत्त भोपाल में प्रस्तुत किया था। प्रकरण विधिवत दर्ज किया जाकर, न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार नजूल गोविन्दपुरा वृत्त के प्रकरण कमांक 0051 / बी–121 / 2022–23 आदेश दिनांक 28.4.2023 द्वारा प्रकरण का निराकरण किया गया था। (सुलभ संदर्भ हेतु आदेश की प्रति संलग्न है।)

उक्त संबधं में शिकायत में अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु प्रकाश गृह निर्माण सहकारी संस्था के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 28.4.2023 के अनुसार वैधानिक कार्यवाही कर अभिमत दिये जाने हेतु न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार नजूल गोविन्दपुरा वृत्त द्वारा समय–समय पर अवगत कराया गया था, जो कि आज दिनॉक तक अप्राप्त है।

अतः वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन श्रीमान् जी की ओर प्रेषित है।

संलग्नः–उपराक्तानुसार,

अनुविभागीय अधिकारी
नजूल गोविन्दपुरा वृत्त भोपाल (म.प्र.)

1/14

Scanned with OKEN Scanner

Annexure–IV

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार नजूल वृत्त–2 गोविंदपुरा भोपाल

क्रमांक / 93 / अति.तह.गो.रि. / वृत्त–2 / 2023 भोपाल, दिनांक– 07 / 12 / 2023

प्रति,

अनुविभागीय महोदय,
नजूल गोविन्दपुरा वृत्त भोपाल

विषयः– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच के प्रकरण क. 139 / 2023 (सी.जेड) कृष्णारानी विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य।

संदर्भः– क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण परिसर ई–5 अरेरा कॉलोनी भोपाल के पत्र कमांक 2453 / क्षेका / प्रनिबो / 2023 भोपाल दिनॉक 06 / 12 / 2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रानुसार माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच के प्रकरण क. 139 / 2023 (सी.जेड) कृष्णारानी विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य में प्रकरण के संबंध में प्रतिवेदन चाहा गया है जिसमें आवेदिका कृष्णा रानी अग्रवाल पत्नि राधेश्याम अग्रवाल द्वारा प्रकाश नगर बिजली कॉलोनी वार्ड–70 ग्राम गोविन्दपुरा के रहवासियों की कॉलोनी में टाउन एंड प्लानिंग द्वारा अधिकृत नक्शे में सेप्टिक टैंक और नाले वाली जगह पर अवैध कब्जा कर निर्माण किया जा रहा है, के संबध में अवैध निर्माण हटाने के लिए आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया था। प्रकरण विधिवत दर्ज किया जाकर, इस न्यायालय के प्रकरण कमांक 0051 / बी–121 / 2022–23 आदेश दिनांक 28.4.2023 द्वारा प्रकरण का निराकरण किया गया था। (सुलभ संदर्भ हेतु आदेश की प्रति संलग्न है।)

उक्त संबधं में शिकायत में अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु प्रकाश गृह निर्माण सहकारी संस्था के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 28.4.2023 के अनुसार वैधानिक कार्यवाही कर अभिमत दिये जाने हेतु इस न्यायालय द्वारा समय–समय पर अवगत कराया गया था, जो कि आज दिनॉक तक अप्राप्त है।

अतः वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन श्रीमान् जी की ओर प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

अतिरिक्त तहसीलदार
नजूल गोविंदपुरा वृत्त–2 भोपाल

अतिरिक्त तहसीलदार
नजूल गोविंदपुरा वृत्त
भोपाल (म.प्र)

07/12/23

2/14

Scanned with CamScanner

अतिरिक्त तहसीलदार नजूल गोविन्दपुरा वृत्त-2 जिला भोपाल म.प्र.

(16)

रा.प्र.क्र./0051/अ-121/वर्ष 2022-23

प्रकरण पेश।

प्रकरण का सार इस प्रकार है कि आवेदिका कृष्णा रानी अग्रवाल पति राधेश्याम अग्रवाल द्वारा प्रकाश नगर, बिजली कॉलोनी वार्ड 70 ग्राम गोविन्दपुरा के रहवासियो की कॉलोनी में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग द्वारा अधिकृत नक्शा में सेप्टिक टैंक और नाले वाली जगह पर अवैध कब्जा कर निर्माण किया जा रहा है, के संबंध में अवैध निर्माण हटाने के लिए आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री बी.एन. मिश्रा के द्वारा वकालतनामा पेश किया गया।

— प्रकरण विधिवत दर्ज किया जाकर अनावेदक को नोटिस जारी किया गया अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री हेमन्त कुमार द्विवेदी द्वारा वकालतनाम पेश किया गया, प्रकरण मे अनावेदक अधिवक्ता श्री हेमंत कुमार द्विवेदी द्वारा आपत्ति आवेदन पत्र बिन्दुवार पेश किया गया, जो किया संलग्न प्रकरण हैं। जिसमें भूखण्ड कमांक 11 और 12 के आपस में कोई विवाद नहीं है , विवादित भूमि पूर्णतः सोसायटी के कब्जे में है, जिस पर सोसायटी का सम्पूर्ण अधिकार एवं स्वत्व है। आवेदित भूखण्ड पर कोई अतिकमण निर्माण नहीं किया जा रहा है आवेदित भूखण्ड सोसायटी प्रकाश निर्माण के स्वामित्व के होने से पूर्व से ही शिवलिंग होने के कारण पूजा स्थल के रूप में उपयोग किया जाता रहा है, वर्तमान में भी शिवलिंग स्थापित होने से पूजा अर्चना होती आ रही है। उक्त मंदिर भूखण्ड कमांक 12 में स्थित नही है न ही कोई अवैध निर्माण किया जा रहा है और न ही सोसायटी के द्वारा उक्त निर्माण पर कोई आपत्ति या शिकायत प्रस्तुत की गई हैं। प्रकरण में संलग्न आपत्ति आवेदन के विस्तृत विवरण के आलोक में प्रस्तुत आवेदन प्रचलनशीलै न होने से आवेदन पत्र निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

— आपत्तिकर्ता अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में आवेदक द्वारा बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत किया गया है। जिसका मेरे द्वारा अवलोकन किया गया विस्तृत जवाब प्रकरण के साथ संलग्न है उपरोक्त आपत्ति के संबंध में उभय पक्ष अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गए प्रकरण में अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति जवाब के आलोक एवं तर्को के मनन उपरांत पाया गया कि आवेदक द्वारा प्रकाश नगर बिजली कॉलोनी वार्ड नबरं 70 गोविन्दपुरा में स्थित प्रकाश गृह निर्माण सोसायटी की भूमि पर अवैध धार्मिक स्थल निर्माण की शिकायत की गई है, जिसमें आवेदिका कृष्णा रानी अग्रवाल द्वारा अवैध निर्माण को ध्वस्त करने एवं सेप्टिक टैंक का निर्माण करने का लेख किया गया है, लेकिन आवेदिका द्वारा उपरोक्त आवेदन में अवैध निर्माण को हटाने संबंधित नियम का कोई उल्लेख नहीं किया गया इसके अतिरिक्त प्रकाश गृह निर्माण समिति द्वारा समिति की भूमि होने के बावजूद भी इस न्यायालय में कोई अवैध निर्माण के संबंध मे आपत्ति आवेदन

अतिरिक्त तहसीलदार
नजूल गोविंदपुरा वृत्त
भोपाल (म.प्र)

Scanned with OKEN Scanner

3/14

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत नहीं किया गया।

– उक्त संबंध में अवलोकनीय है कि आवेदिका द्वारा बिना किसी आधार एवं नियम के प्रकाश गृह निर्माण सोसायटी के निर्माण को ध्वस्त करने व उक्त भूमि पर सेप्टिक टैंक निर्माण करने का निवेदन किया गया है जिसके आधार पर प्रकरण प्रचलनशील नही हो सकता फलतः अनावेदक द्वारा प्रकरण में आपत्ति आवेदन पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

– आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन जनहित में दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत करना परिलक्षित होता है। फलतः उक्त संबंध में प्रकाश गृह निर्माण समिति को वैधानिक कार्यवाही हेतु पृथक से पत्र जारी हो, प्रकाश गृह निर्माण समिति के वैधानिक कार्यवाही अपना अभिमत आने तक मौके पर निर्माण के संबंध में यथास्थिति कायम रहे एवं हल्का पटवारी शासन हित को दृष्टिगत रखते हुए पृथक से शासकीय हित होने पर वस्तुस्थिति की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से सात 7 दिवस में पेश करे।

– अतः उपरोक्त आधार पर अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति एवं प्रकरण के संपूर्ण आलोक में प्रकरण प्रचलनशील न होने से प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।

संबंधित सूचित हो।

प्रकरण दा.द. हो।

28/04/23

अतिरिक्त तहसीलदार

नजूल अतिरिक्त तहसीलदार वृत्त

नजूल गोविंदपुरा वृत्त

भोपाल (म.प्र)

(मुहर: न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार गोविन्दपुरा वृत्त, भोपाल)

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with CamScanner

(52)

क___यब तहसीलदार नजूल वृत्त--2 गोविंदपुरा भोपाल

क्रमांक/118/ना.तह.गो.री–2/2022 भोपाल दिनांक– 9/09/2022

// स्थगन आदेश //

आवेदिका – श्रीमति कृष्णा रानी अग्रवाल पत्नि राधेश्याम अग्रवाल निवासी– प्रकाश नगर, विजली कॉलोनी वार्ड–70 ग्राम–गोविंदपुरा भोपाल द्वारा आवेदन पत्र पेश कर लेख किया है कि प्रकाश नगर, विजली कॉलोनी वार्ड–70, के मकान क. 11 के दक्षिण दिशा की ओर खुली भूमि ग्रीन वेल्ट, सेप्टिक टैंक और नाला पर अनावेदक– महेन्द्र सिंह पवार पिता जाहर सिंह पवार निवासी– मकान क. 11 प्रकाश नगर विजली कालोनी के द्वारा अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। विवादित स्थिति होने के कारण निर्माण कार्य पर रोक स्थगन लगाई जाती है। आदेश का पालन तत्काल हो।

अतः अनावेदक को निर्देशित किया जाता है कि वे किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करे। ग्राम– गोविंदपुरा प्रकाश नगर विजली कालोनी के प्लाट न. 11 के दक्षिण भाग स्थित निर्माण कार्य का रोकने हेतु स्थगन आदेश जारी किया जाना है। उभय पक्ष आगामी आदेश तक मौके पर यथा स्थिति बनाये रखे।

तहसीलदार
गोविन्दपुरा वृत्त–2, भोपाल

क्रमांक/119/ना.तह.गो.री–2/2020 भोपाल दिनांक– /09/2022

प्रतिलिपिः–

1. राजस्व निरीक्षक/हल्का पटवारी को निर्देशित किया जाता है कि मौका स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।
2. थाना प्रभारी थाना अशोका गार्डन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं उभय पक्षों को मौके पर निर्माण कार्य न करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। एवं उल्लंघन पर धारा 151, 107/11 प्रतिबंधात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करें।
3. श्रीमति कृष्णा रानी अग्रवाल पत्नि राधेश्याम अग्रवाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अनावेदक– महेन्द्र सिंह पवार पुत्र जाहर सिंह पवार निवासी– मकान क. 11 प्रकाश नगर विजली कालोनी भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं उपरोक्त के संबंध में पालनार्थ।
5. नगर निगम भोपाल अतिक्रमण दस्ता प्रभारी को निर्देशित किया जाना है कि अवैध निर्माण जॉच कर निर्माण कार्य को रोके।

कार्यालय तहसीलदार नजूल गोविन्दपुरा, भोपाल

तहसीलदार
गोविन्दपुरा वृत्त–2, भोपाल
नजूल गोविन्दपुरा, भोपाल

Scanned with OKEN Scanner

5/54

Scanned with CamScanner

कार्यालय अतिरिक्त तहसीलदार नजूल वृत्त-2 गोविंदपुरा भोपाल

क्रमांक/ 128 /ना.तह.गो.री-2/2022 भोपाल दिनांक- 23 /09/22

// आदेश //

आवेदिका- श्रीमति कृष्णा रानी अग्रवाल पत्नि राधेश्याम अग्रवाल निवासी- प्रकाश नगर, बिजली कॉलोनी वार्ड-70 ग्राम-गोविंदपुरा भोपाल द्वारा आवेदकन पत्र पेश कर लेख किया है कि प्रकाश नगर, बिजली कालोनी वार्ड-70 के मकान क. 11 के दक्षिण दिशा की ओर खुली भूमि ग्रीन बेल्ट, सेप्टिक टैंक और नाला पर महेन्द्र सिंह पवार पिता जाहर सिंह पवार निवासी- मकान क. 11 प्रकाश नगर बिजली कालोनी के द्वारा अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा है।

सं0क0	राजस्व निरीक्षक का नाम	पटवारी का नाम
1	श्री राधेश्याम बघेल, राजस्व निरीक्षक	1 श्री आशीष मिश्रा पटवारी
2	श्री जगदीश पटेल, राजस्व निरीक्षक	2 श्री महेश राजन पटवारी
		5 श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह यादव पटवारी

अतः उक्त प्रकरण में मौका जॉच हेतु राजस्व निरीक्षकों और हल्का पटवारी का दल गठित किया जाता है, प्रकरण में पेशी दिनॉक 11/10/2022 के पूर्व न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चत करे।

अति. तहसीलदार
गोविन्दपुरा वृत्त-2 भोपाल

क्रमांक/ 129 /री.तह.गो./2022 भोपाल दिनांक- 23 /09/2022

प्रतिलिपिः-

3 अनुविभागीय अधिकारी नजूल वृत्त गोविन्दपुरा भोपाल की ओर सूचनार्थ।

4 संबधित श्री..................................राजस्व निरीक्षक/ पटवारी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अति. तहसीलदार
गोविन्दपुरा वृत्त-2 भोपाल

P.H.No.50
26/09/2022

P.5.
26/09/2022

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with CamScanner

संयुक्त प्रतिवेदन (2)

प्रति श्री

नायब तहसीलदार महोदय
वसूल हल गोविंदपुरा -

विषय - अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य करने के संबंध में

संदर्भ - न्यायालय अति.तह. वृ-2 गोविंदपुरा के आदेश क्र 128/आ.तह.गो./2022 भोपाल दिनांक 23/09/2022 के पालन में

महोदय

उपरोक्त विषय मे लेख है कि ग्राम गोविंदपुरा स्थित प्रभात नगर मे मकान नं. 11 के दक्षिण दिशा की ओर खुली भूमि सेप्टिक टैंक, नाला पर महेन्द्र पवार पिता बहादुर सिंह द्वारा अवैध कब्जा कर किये जा रहे निर्माण के संबंध मे आपके आदेश के पालन मे गठित दल मौके पर जाकर जांच व पंचनामा तस्दीक किया गया. मौका तस्दीक व संलग्न दस्तावेज आदि के आधार संयुक्त जांच प्रतिवेदन निम्न है.

(1) प्रश्नाधीन विवादित स्थल की भूमि ग्राम गोविंदपुरा स्थित ख.नं. 18 के अंशभाग मे स्थित है उक्त भूमि प्रभात नगर सोसायटी को पट्टे ~~के~~ पर आवंटित है जिसका लीज नवीनीकरण वरिष्ठ स्तर पर प्रचलित है।

(2) मौके पर प्रश्नाधीन विवादित स्थल टी.एन.सी.पी नक्शा अनुसार सेप्टिक टैंक को आरक्षित भूमि पर स्थित है जिस पर वर्तमान मे कोई निर्माण कर कालम निर्मित कर सेटरिंग लगी हुई है छत का निर्माण नही हुआ आदि मौके की स्थिति है।

वस्तुस्थिति का संयुक्त जांच प्रतिवेदन अवगत की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है

संलग्न - आदेश प्रति, पंचनामा, टी.एन.सी.पी.नक्शा - P.H.No.90 [illegible] आर.आई. पटवारी

Scanned with CamScanner

7/14

Scanned with CamScanner

तहसीलदार नजूल वृत्त–2 गोविंदपुरा भोपाल

क्रमांक/45/ना.तह.गो.रि./गोविन्दपुरा वृत्त/ 2023 भोपाल, दिनांक 22/08/2023

प्रति,

प्रकाश गृह निर्माण,

सहकारी संस्था,

बिजली कलोनी गोविन्दपुरा भोपाल,

विषयः– वैधानिक कार्यवाही कर अभिमत प्रदान किये जाने बावत्।

---00---

उपरोक्त विषयान्तर्गत आवेदिका कृष्णा रानी अग्रवाल पत्नि राधेश्याम अग्रवाल द्वारा प्रकाश नगर बिजली कॉलोनी वार्ड–70 ग्राम गोविन्दपुरा के रहवासियों की कॉलोनी में टाउन एंड प्लानिंग द्वारा अधिकृत नक्शे में सेप्टिक टैंक और नाले वाली जगह पर अवैध कब्जा कर निर्माण किया जा रहा है, के संबंध में अवैध निर्माण हटाने के लिए आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

ततसंबंध में प्रकरण विधिवत दर्ज किया जाकर इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 0051/बी–121/2022–23 आदेश दिनांक 28.4.2023 द्वारा प्रकरण का निराकरण किया गया था। (सुलभ संदर्भ हेतु आदेश की प्रति संलग्न है।)

अतः उक्त संबंध में आप प्रकरण क्रमांक 0051/बी–121/2022–23 आदेश दिनांक 28.4.2023 में दिये गए निदेशानुसार मौके पर निर्माण के संबंध में वैधानिक कार्यवाही कर, अपना अभिमत अविलंब भिजवाने का कष्ट करे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

तहसीलदार
गोविन्दपुरा वृत्त–2 भोपाल

अतिरिक्त तहसीलदार
नजूल गोविंदपुरा वृत्त
भोपाल (म.प्र.)

पृ0क्रमांक/41 /ना.तह.गो.रि./गोविन्दपुरा वृत्त/ 2023 भोपाल, दिनांक 22/08/2023

प्रतिलिपिः– हल्का पटवारी गोविन्दपुरा भोपाल को यह निदेर्शित किया जाता है कि उक्त संबंध में शासकीय हित होने पर पृथक से रिपोर्ट (07) दिवस के भीतर प्रस्तुत करे।

तहसीलदार
गोविन्दपुरा वृत्त–2 भोपाल

अतिरिक्त तहसीलदार
नजूल गोविंदपुरा वृत्त
भोपाल (म.प्र.)

9977781506

Scanned with OKEN Scanner

10/14

Scanned with CamScanner

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार नजूल वृत्त–2 गोविंदपुरा भोपाल

क्रमांक/64/अति.तह.गो.रि./वृत्त–2/2023

प्रति,

भोपाल, दिनांक– 05/07/2023

1. श्री मधुसूदन आत्रे,
(अध्यक्ष प्रकाश गृह निर्माण,सहकारी संस्था,
बिजली कालोनी गोविन्दपुरा) निवासी– मकान क्र.
एल.आई.जी.–248/ई–7, अरेरा कॉलोनी भोपाल।
2. श्री रवि वर्मा,
(उपाध्यक्ष प्रकाश गृह निर्माण,सहकारी संस्था,
बिजली कालोनी गोविन्दपुरा) निवासी– मकान क्र. 46 प्रकाश
नगर प्राइवेट बिजली कालोनी गोविन्दपुरा भोपाल ।

विषयः– वैधानिक कार्यवाही कर अभिमत प्रदान किये जाने बावत्।

संदर्भः– न्यायालय तहसीलदार नजूल वृत्त–2 गोविन्दपुरा भोपाल का पत्र कमांक 45/तह.गो.रि./वृत्त–2/2023 भोपाल दिनॉक 22/06/2023 ।

---00---

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करे जिसमें आवेदिका कृष्णा रानी अग्रवाल पत्नि राधेश्याम अग्रवाल द्वारा प्रकाश नगर बिजली कॉलोनी वार्ड–70 ग्राम गोविन्दपुरा के रहवासियों की कॉलोनी में टाउन एंड प्लानिंग द्वारा अधिकृत नक्शे में सेप्टिक टैक और पार्क की जगह पर अवैध कब्जा कर निर्माण किया जा रहा है, के संबंध में अवैध निर्माण हटाने के लिए आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

तत्संबंध पूर्व में प्रकरण विधिवत दर्ज किया जाकर, इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 0051/बी–121/2022–23 आदेश दिनांक 28.4.2023 द्वारा प्रकरण का निराकरण किया गया था। (सुलभ संदर्भ हेतु आदेश की प्रति संलग्न है।) उक्त संबंध में आपको प्रकरण क्रमांक 0051/बी–121/2022–23 आदेश दिनांक 28.4.2023 में दिये गए निदेशानुसार मौके पर निर्माण के संबंध में वैधानिक कार्यवाही कर, अपना अभिमत अविलंब भिजवाने हेतु अवगत कराया गया था परन्तु आपके द्वारा अभिमत अप्राप्त होने की दशा में आवेदक दवारा पुनः आवेदन दिया गया है (सुलभ संदर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति) संलग्न है ।

अतः कृपया आप प्रकरण कमांक 0051/बी–121/2022–23 आदेश दिनांक 28.4.2023 में दिये गए निर्देशानुसार मौके पर निर्माण के संबंध में वैधानिक कार्यवाही कर अपना अभिमत अभिलंब भिजवाने का कष्ट करे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार,

अतिरिक्त तहसीलदार
नजूल गोविन्दपुरा वृत्त–2 भोपाल

अतिरिक्त तहसीलदार
नजूल गोविंदपुरा वृत्त
भोपाल (म.प्र.)

O/C

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार ... भोपाल

मो. 9425016000

श्री यह पत्र श्री मधुसूदन के अधिकृत कर्मचारी को कार्यालय पर दिया है।

Scanned with CamScanner

11/14

Scanned with CamScanner

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार नजूल वृत्त–2 गोविंदपुरा भोपाल

क्रमांक / 94 / अति.तह.गो.रि. / वृत्त–2 / 2023

भोपाल, दिनांक– 7 / 12 / 2023

स्मरण पत्र

प्रति,

1. श्री मधुसूदन अत्रे,
   (अध्यक्ष प्रकाश गृह निर्माण,सहकारी संस्था,
   बिजली कालोनी गोविन्दपुरा) निवासी– मकान क्र.
   एल.आई.जी.–248 / ई–7, अरेरा कॉलोनी भोपाल।

2. श्री रवि वर्मा,
   (उपाध्यक्ष प्रकाश गृह निर्माण,सहकारी संस्था,
   बिजली कालोनी गोविन्दपुरा) निवासी– मकान क्र. 46 प्रकाश
   नगर प्राइवेट बिजली कालोनी गोविन्दपुरा भोपाल ।

विषयः– वैधानिक कार्यवाही कर अभिमत प्रदान किये जाने बावत्।

संदर्भः– क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण परिसर ई–अरेरा कॉलोनी बोर्ड पर्यावरण परिसर ई–5 अरेरा कॉलोनी भोपाल का पत्र क्रमांक 2453 दिनांक 6.12.2023 एवं इस न्यायालय पत्र क्रमांक 45 / तह.गो.रि. / वृत्त–2 / 2023 भोपाल दिनॉक 22 / 06 / 2023 एवं जावक क्रमांक 64 दिनांक 05 / 09 / 2023

——00——

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करे। (सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है) जिसमें आवेदिका कृष्णा रानी अग्रवाल पत्नि राधेश्याम अग्रवाल द्वारा प्रकाश नगर बिजली कॉलोनी वार्ड–70 ग्राम गोविन्दपुरा के रहवासियों की कॉलोनी में टाउन एंड प्लानिंग द्वारा अधिकृत नक्शे में सेप्टिक टैक और नाले वाली जगह पर अवैध कब्जा कर निर्माण किया जा रहा है, के संबंध में अवैध निर्माण हटाने के लिए आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

तत्संबंध पूर्व में प्रकरण विधिवत दर्ज किया जाकर, इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 0051 / बी–121 / 2022–23 आदेश दिनांक 28.4.2023 द्वारा प्रकरण का निराकरण किया गया था। (सुलभ संदर्भ हेतु आदेश की प्रति संलग्न है।) उक्त संबंध में आपको प्रकरण क्रमांक 0051 / बी–121 / 2022–23 आदेश दिनांक 28.4.2023 में दिये गए निदेशानुसार मौके पर निर्माण के संबंध में वैधानिक कार्यवाही कर, अपना अभिमत अविलंब भिजवाने हेतु अवगत कराया गया था पंरतु आपके द्वारा आज दिनांक तक अभिमत प्रदान नहीं किया गया है।

Scanned with CamScanner

ज्ञातव्य हो कि उक्त शिकायत के संबंध में माननीय क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण परिसर ई--अरेरा कॉलोनी बोर्ड पर्यावरण परिसर ई–5 अरेरा कॉलोनी भोपाल द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच के प्रकरण कंमाक 139/2023 (री.जेड कृष्णारानी विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में आदेश दिनांक दिनांक 12.10.2023 के अनुसार गठित संयुक्त गठित समिति द्वारा स्थल निरीक्षण दिनांक 05.12.2023 को किया गया है जिसमें प्रकरण में आगामी सुनवाई दिनांक 18.12.2023 को नियत है।

अतः कृपया आप प्रकरण कमांक 0051/बी–121/2022–23 आदेश दिनांक 28.4.2023 में दिये गए निर्देशानुसार मौके पर निर्माण के संबंध में वैघानिक कार्यवाही कर अपना अभिमत अभिलंब टी.एन. सी.पी नक्शा सहित अविलंब न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे। जिससे वरिष्ठ कार्यालय की ओर अवगत कराया जा सके।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार,

अति. तहसीलदार
नजूल गोविंदपुरा वृत्त–2 भोपाल

पृ0 क्रं/ 95/अति.तह.गो.रि./वृत्त–2/2023 भोपाल, दिनांक–07/12/2023

प्रतिलिपि–

1. माननीय क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण परिसर ई–अरेरा कॉलोनी बोर्ड पर्यावरण परिसर ई–5 अरेरा कॉलोनी भोपाल के पत्र कमांक पत्र कमांक 2453 दिनांक 6.12.2023 के संबध में सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय गोविंदपुरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

अतिरिक्त तहसीलदार
नजूल गोविंदपुरा वृत्त–2 भोपाल

अतिरिक्त तहसीलदार
नजूल गोविंदपुरा वृत्त
भोपाल (म.प्र

Scanned with CamScanner

प्रतिवेदन

श्रीमान
तहसीलदार महोदय
नजूल वृत गोविंदपुरा

विषय- स्थल जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बावत्

संदर्भ- प्र० क्र० /0051/बी-121/2022-23 आ० दि० 28/04/2023

महोदय

उपरोक्त विषय मे लेख है कि ग्राम गोविंदपुरा स्थित प्रकाश नगर कालोनी मे किये गये धार्मिक निर्माण के संबध मे मौके पर स्थल जांच की गई जिसमे मौके पर पूर्व की भांति चबूतरा एवं कालम खडे हुये बिना छत के आडि निर्माण पाया गया।

स्थल जांच प्रतिवेदन श्रीमान की ओर उचित कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

पटवारी
25/06/23

14/14

Scanned with CamScanner

Annexure V

Calculation of Environment Compensation to be levied on Prakash Grah Nirman Society, Bijli Nagar Colony, Govindpura, Bhopal:

Environmental compensation (EC) to be levied on concerned individual/ authority as per order of Hon'ble NGT in case of OA- 129/2023 may be calculated as:

Calculation of Environment Compensation to be levied on Prakash Grah Nirman Society, Bijli Nagar Colony, Govindpura, Bhopal;

EC (Lacs Rs.) = 17.5 x (Total Sewage Generation – Installed Treatment Capacity) + 55.5 x (Total Sewage Generation –Operational Capacity) + 0.2 (Sewage Generation –Operational Capacity) x N + Marginal cost of Environmental Externality x (Total Sewage Generation –Operational Capacity)x N

Where N = Number of days from the date of direction of CPCB/SPCB/PCC till the required capacity systems are provided by the concerned authority. Quantity of Sewage in MLD.

As per above methodology, the information recorded during inspection and based on following parameters environment compensation is assessed:-

S.No.	Components of EC	Estimated Value	Remarks
1.	Water demand per day (MLD) (approx)	0.018225	Calculated for total no. of dwellings= 27 (Occupancy) Assumption as per NBC: No. of persons per family=5 Minimum domestic water supply= 135 lpcd
2.	Total Sewage Generation per day (MLD) (approx)	0.01458	Assumption as per CPHEEO Manual Sewage Generation= 0.08* water demand

1/2

3.	Installed Treatment Capacity (MLD)	0.015	Not in operation
4	Operational Capacity of STP (MLD)	0.0	
5.	Gap in treatment of Sewage (MLD)	0.01458	Total Sewage Generation – Installed Treatment capacity of STP = -0.01542 Total Sewage Generation – Operational Treatment capacity of STP = 0.01458
6	N = Number of Days of Violation	76	No. of days (76) of violation is calculated from the date of petition filed i.e. 20/09/2023 to 05/11/2023 i.e. last inspection done by Joint Inspection team.
	As per the above data Environmental Compensation	**Rs.1.078 /-In Lacs Rs.**	**EC= 17.5*(0.01458-0.015) + 55.5*(0.01458-0.0) + 0.2*(0.01458-0.0)*76+ 0.05*(0.01458-0.0) 76** **EC= 1.31/- (In Lacs Rs.)**
.	As per Environment Compensation guidelines points 1.3.1 of f "In any case, minimum environment compensation shall be Rs. 5000 per day"	**Rs 380,000/-**	Total No. of days = 76 Environment Compensation will be **Rs. 5000*76 = 380,000/-**

Conclusion: Therefore Environmental Compensation to be levied on Prakash Grah Nirman Society, Bijli Nagar Colony, Govindpura, Bhopal is **Rs 380,000/-**

2/2